

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

राजस्थान के 14-नागौर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री हनुमान बैनिवाल, ग्राम व पोस्ट बरणगांव तहसील व जिला नागौर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: नागौर

दिनांक 23.05.2019



5/19
23/5/19

(दिनेश कुमार यादव)

रिटर्निंग ऑफिसर

14-नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)

नागौर

(दिनेश कुमार यादव)

रिटर्निंग अधिकारी

14-नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)

नागौर

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the 14-Nagaur Parliamentary constituency in Rajasthan.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Hanuman Beniwal, Village & Post Barangaon Tehsil & District Nagaur sponsored by Rashtriya Loktantrik Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- Nagaur

Date:- 23-05-2019




(Dinesh Kumar Yadav)
Returning Officer
14-Nagaur Parliamentary Constituency
(District Collector & District Magistrate)
Nagaur
(Dinesh Kumar yadav)
Returning Officer
14-Nagaur Parliamentary Constituency
(District Collector & District Magistrate)
Nagaur